न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर बइजलास
श्री चिमनलाल मीणा R.A.S

...सल नं.
...3/2018

तारीख दायर
10 12 2018

तारीख फैसला
13 02 2024

श्रीमति मगती देवी पत्नि रघुनाथ मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गुढाकक तहसील बस्सी जिला जयपुर (दौराने वाद मृतका)
जनसीराम मीणा पुत्र स्व.श्री प्रभातीलाल मीणा पौत्र रघुनाथ मीणा निवासी ग्राम गुढाकक तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. डूंगरसी पुत्र स्व.गिरधारी मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. किशोर पुत्र स्व.गिरधारी मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. रामजी पुत्र स्व.मूलचन्द मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. मंगल पुत्र स्व.मूलचन्द मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
5. लालाराम पुत्र स्व.मूलचन्द मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
6. माया पत्नी श्रवण पुत्री स्व.नंदा निवासी सेवापुरा घाटी तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
7. ममता पत्नी कृष्ण पुत्री स्व.नंदा निवासी सेवापुरा घाटी तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
8. काली पत्नी काना पुत्री नंदा मीणा निवासी ग्राम बासना तहसील जमवारामगढ
9. पप्पूलाल पुत्र स्व.नंदा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला)
10. लाल्या पुत्र चंदा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
11. ग्यारसा पुत्र चंदा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
12. नहनू पुत्र बख्शा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
13. श्रीमति कल्याणी देवी पत्नी गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर ।
14. छाजू पुत्र गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
15. लक्ष्मण पुत्र गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ़
16. रतनलाल पुत्र गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला)
17. रेवड पुत्र काल्या मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
18. प्रभात पुत्र काल्या मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ

समस्त् जातियान् मीणा निवासीयान् धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर
3. उपपंजियक महोदय जमवारामगढ़ तह. जमवारामगढ़ जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रामकरण शर्मा — वादी वकील

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

— निर्णय —

वादी ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वर्णित किया कि वाके ग्राम रानियावास पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित भूमिया खसरा नंबर 980 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 981 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 982 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 983 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 984 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 985 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 986 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 989 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 990 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 991 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 992 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 993 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 994 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 995 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 996 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 997 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 998 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 999 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर हैं जिनमें कजोड पुत्र नानगा का 1/3 हिस्सा था तथा कजोड पुत्र नानगा फौत हों गया तथा कजोड पुत्र नानगा को उक्त भूमिया विरासत में नानगा से प्राप्त हुई हैं तथा नानगा व कजोड की एकमात्र वारिस वादिया ही हैं जिसको छोडकर प्रतिवादीगण व उनके हकाधिकारियों ने कजोड पुत्र नानगा की खातेदारी भूमियों को अपने हक में खातेदारी दर्ज करवा लीं जो गलत हैं जबकि कजोड पुत्र नानगा की विरासत अकेले उसकी एकमात्र वारिस सगी बहिन वादिया हैं के नाम दर्ज की जानी चाहिये थीं जबकि प्रतिवादीगण ने गलत प्रकार से कजोड पुत्र नानगा की विरासत को अपने नाम राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर करवाई हैं जो शुरू से हीं वादिया के अधिकारों के प्रभाव में कलेदम बेअसर हैं। प्रतिवादीगण के नाम कजोड की खातेदारी के रिकार्ड को दुरूस्त कर नानगा से प्राप्त कजोड़ के नाम दर्ज भूमियों की खातेदारी वादिया के हक में घोषित की जावें जिसकी वादिया अधिकारीणी हैं। उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई।

उपरोक्त उनवानी वाद में प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 13.02.2019 को करवाई गई। दिनांक 14.03.2019 तक प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामील करवाई जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। इन्तजार पक्षकार हेतु पत्रावली पेशी में रखी गई तथा दिनांक 04.12.2019 तक प्रतिवादीगण को उपस्थित होने हेतु पूर्व में 10 अवसर प्रदान किये जा चुके हैं और अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। पत्रावली वादी साक्ष्य सबूत एवं बहस हेतु निहित की गई।

उपरोक्त उनवानी वाद में दिनांक 17.10.2022 को वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया का देहान्त हों चुका हैं तथा वादिया का वारिस पुत्र की ओर से अभिभाषक पत्र पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संशोधित उनवान शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में निहित की गई।

उपरोक्त उनवानी वाद में दिनांक 07.08.2023 को साक्ष्य वादी में साक्ष्य शपथ-पत्र पीडब्ल्यू-1 जनसी मीणा व पीडब्ल्यू-2 नहनूराम पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

उपरोक्त उनवानी वाद में दिनांक 22.08.2023 को वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादांकित सम्पत्ति नानगा की सम्पत्ति थीं जिसमें कजोड पुत्र नानगा को उक्त भूमि विरासत में मिली हैं तथा वर्तमान रिकार्ड में कजोड पुत्र नानगा दर्ज हैं तथा नानगा व कजोड की एकमात्र वारिस मंगली देवी हुई तथा मंगली देवी का कायम मुकाम जन्सीराम हैं तथा कजोड की विरासत को

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

गलत प्रकार से प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जो वादी के अधिकारों के प्रभाव में कलेदम बेअसर है तथा कजोड पुत्र नानगा की विरासत का नामान्तरण संख्या 197 दिनांक 04.08.1999 को पंचायत राहोरी ने गलत प्रकार से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया। उक्त नामान्तरण की अपील करने पर नामान्तरण संख्या 197 खारीज कर दिया गया तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 15.10.2018 द्वारा निर्णय दिया गया कि वादग्रस्त भूमियो के सम्बन्ध मे उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन वाद को एक वर्ष के भीतर निस्तारण करने व अन्य भूमियों के सम्बन्ध मे नियमित वाद के द्वारा अपने हको का निस्तारण करवाने का निर्णय पारित किया। पूर्व मे दर्ज जमाबंदियों मे वादिया के नाम रिकार्ड दर्ज रहा है किन्तु पूर्व नामान्तकरण निरस्त हो जाने से पुन हाल रिकार्ड मे कजोड पुत्र नानगा का राजस्व रिकार्ड यथावत कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण ने अपनी वाद जो पूर्व से विचाराधीन था उसे दिनांक 09.02.2016 को खारीज करवा लिया इसलिये वादिया ने पृथक से वाद कजोड पुत्र नानगा की खातेदारियो को अपने नाम करवाने के लिये पेश किया है तथा प्रतिवादीगण को कजोड पुत्र नानगा की खातेदारी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। कजोड पुत्र नानगा की वादिया मगली देवी सगी बहिन है तथा जन्सीराम मंगली देवी का सगा पुत्र है जो दौराने वाद मंगली देवी फौत होने पर जन्सीराम को कायम मुकाम वादी सयोजित किया गया है तथा वादी बरूहे कजोड पुत्र नानगा की भूमियों का खातेदार है जिसे खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण ने सहमति पत्र भी वादिया के हक मे निष्पादित किया है जो पत्रावली में शामिल है ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमनें पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व वकील वादी की बहस पर मनन किया जिसमें स्पष्ट रूप से यह साबित है कि कजोड पुत्र नानगा को विरासत से भूमि मिली है तथा वादिया मंगली देवी कजोड पुत्र नानगा की सगी बहिन होने से वाद खातेदारी घोषणा डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम रानियावास पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमिया खसरा नंबर 980 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 981 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 982 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 983 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 984 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 985 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 986 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 989 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 990 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 991 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 992 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 993 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 994 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 995 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 996 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 997 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 998 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 999 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में कजोड़ पुत्र नानगा का 1/3 हिस्सा का वारिस वादी को घोषित किया जाता है तथा कजोड पुत्र नानगा का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करें। निर्णय खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

–उनवान –

श्रीमति मंगली देवी पत्नि रघुनाथ मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गुढाचक तहसील बस्सी जिला जयपुर (दौराने वाद मृतका)

जनसीराम मीणा पुत्र स्व.श्री प्रभातीलाल मीणा पौत्र रघुनाथ मीणा निवासी ग्राम गुढाचक तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. डूंगरसी पुत्र स्व.गिरधारी मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2. किशोर पुत्र स्व.गिरधारी मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
3. रामजी पुत्र स्व.मूलचन्द मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
4. मंगल पुत्र स्व.मूलचन्द मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
5. लालाराम पुत्र स्व.मूलचन्द मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
6. माया पत्नी श्रवण पुत्री स्व.नंदा निवासी सेवापुरा घाटी तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
7. ममता पत्नी कृष्ण पुत्री स्व.नंदा निवासी सेवापुरा घाटी तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
8. काली पत्नी काना पुत्री नंदा मीणा निवासी ग्राम बासना तहसील जमवारामगढ़
9. पप्पूलाल पुत्र स्व.नंदा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला)
10. लाल्या पुत्र चंदा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
11. ग्यारसा पुत्र चंदा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
12. नहनू पुत्र बख्शा मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
13. श्रीमति कल्याणी देवी पत्नी गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर ।
14. छाजू पुत्र गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
15. लक्ष्मण पुत्र गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ
16. रतनलाल पुत्र गोपाल मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला)
17. रेवड पुत्र काल्या मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ़
18. प्रभात पुत्र काल्या मीणा निवासी धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) त.ज.रामगढ

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

समस्त जातियान मीणा निवासीयान धावाली ढाणी, ग्राम हरिकिशनपुरा(नायला) तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

20. उपपंजियक महोदय जमवारामगढ तह.जमवारामगढ जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 173/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू चिमनलाल मीना द्वारा हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रानियावास पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमियां खसरा नंबर 980 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 981 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 982 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 983 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 984 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 985 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 986 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 989 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 990 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 991 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 992 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 993 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 994 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 995 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 996 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 997 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 998 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 999 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में कजोड़ पुत्र नानगा का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावें।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से आज दिनांक 13 फरवरी, 2024 को जारी की गई।

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
मुदई			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वजूह सबुत		
स्टाम्प वजूह सबुत			महन्तानावकील		
महन्तानावकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			बबतहजराय हुक्मनामा		
बबतहजराय हुक्मनामा			मुत0		
मुत0			मिलान		
मिलान					

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़